"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244] रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 सितम्बर 2009—भाद्र 14, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2009

अधिसूचना

फा. क्र. 6232/डी-2011/21-ब/छ. ग./09.—कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (क्रमांक 66 सन् 1984) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, विभाग के अधिसूचना क्रमांक 699/डी-168/21-ब/छ. ग./08, दिनांक 18-01-2008 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, जो दिनांक 24-04-09 से प्रभावशील होगा :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 6 के सम्मुख स्तंभ क्रमांक (3) एवं (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाए,—

क्र. (1)	न्यायालय का नाम एवं जिला (2)	मुख्यालय (3)	क्षेत्राधिकार (4)
6.	कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर	बिलासपुर	राजस्व जिला बिलासपुर (सिविल न्यायालय मुंगेली एवं पेंड्रारोड के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)

(1)	(2)	(3)	(4)
	कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर-चांपा	(अ) जांजगीर	राजस्व जिला जांजगीर-चांपा, (सक्ती न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
		(ब) बैठक का अतिरिक्त स्थान सक्ती, प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह में एक सप्ताह के लिए.	(ब) सिविल न्यायालय सक्ती का क्षेत्राधिकार.

Raipur, the 5th September 2009

NOTIFICATION

S. No. 6232/D-2011/XXI-B/C. G./09.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Court Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government in consultation with the High Court of Chhattisgarh, hereby makes following further amendment in department Notification No. 699/D-168/XXI-B/C. G./08, Raipur dated 18-01-2008 with effect form 24-04-09 :—

AMENDMENT

In the said Notification,—

1. For the entries in column No. (3) and (4) against serial No. 6 of Schedule-II, the following shall be substituted,—

S. No. (1)	Name of the Court and District (2)	Headquarters (3)	Jurisdiction (4)
6.	Family Court, Bilaspur	Bilaspur	Revenue District Bilaspur (excluding the Jurisdiction of Civil Court Mungeli and Pendra Road.)
	Family Court, Janjgir-Champa	(a) Janjgir	(a) Revenue District Janjgir-Champa (excluding the jurisdiction of the court of Sakti.)
		(b) Additional place of sitting at Sakti for a week, in the 2nd week of every month.	(b) Territorial jurisdiction of Civil Court, Sakti.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.